



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-28022026-270573
CG-TL-E-28022026-270573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1039]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947

No. 1039]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 26 फरवरी, 2026

का.आ. 1083(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे “उक्त अधिनियम” कहा गया है), केंद्र सरकार, इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अनुसूची में संलग्न भूमि का संक्षिप्त विवरण, कर्नाटक राज्य के यादगिर ज़िले के यादगिर तालुका के शेटीकेरे ग्राम में लिंगिरी एवं यादगिर स्टेशनों के बीच कि.मी. 622/7-8 पर समपार संख्या 227 के स्थान पर सड़क ऊपरी सेतु के निर्माण, अर्थात् एक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए, जिसकी भूमि का विस्तार 5.02 एकड़ है, आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सहायक आयुक्त, यादगिर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सहायक आयुक्त, यादगिर, आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (CALA) द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी (CALA) के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमि का विवरण: समपार संख्या 227 के स्थान पर कि.मी. 622/7-8 पर लिंगिरी एवं यादगिर स्टेशनों के बीच सड़क ऊपरी सेतु का निर्माण, जिसकी भूमि का विस्तार 5.02 एकड़ है, जो यादगिर ज़िले के यादगिर तालुका के शेटीकेरे ग्राम में स्थित है।

क्र. सं.	मंडल का नाम	ग्राम का नाम	क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि का प्रकार (सरकारी/निजी/)	भूमि की प्रकृति (सूखी या गीली)
1	यादगिर	शेटीकेरे	1	69/1	00-04	निजी	सूखी
2	यादगिर	शेटीकेरे	2	69/2	00-04	निजी	सूखी
3	यादगिर	शेटीकेरे	3	71/3	00-11	निजी	सूखी
4	यादगिर	शेटीकेरे	4	71/2	00-02	निजी	सूखी
5	यादगिर	शेटीकेरे	5	A	00-16	निजी	सूखी
6	यादगिर	शेटीकेरे	6	75	00-13	निजी	सूखी
7	यादगिर	शेटीकेरे	7	81	00-12	निजी	सूखी
8	यादगिर	शेटीकेरे	8	78	00-04	निजी	सूखी
9	यादगिर	शेटीकेरे	9	80	00-18	निजी	सूखी
10	यादगिर	शेटीकेरे	10	83	00-09	निजी	सूखी
11	यादगिर	शेटीकेरे	11	221	00-02	निजी	सूखी
12	यादगिर	शेटीकेरे	12	219	00-15	निजी	सूखी
13	यादगिर	शेटीकेरे	13	142	00-14	निजी	सूखी
14	यादगिर	शेटीकेरे	14	198	00-05	निजी	सूखी
15	यादगिर	शेटीकेरे	15	199	00-20	निजी	सूखी
16	यादगिर	शेटीकेरे	16	197	00-12	निजी	सूखी
17	यादगिर	शेटीकेरे	17	194	00-22	निजी	सूखी
18	यादगिर	शेटीकेरे	18	186	00-01	निजी	सूखी
19	यादगिर	शेटीकेरे	19	254	00-04	निजी	सूखी
20	यादगिर	शेटीकेरे	20	72	00-01	निजी	सूखी
21	यादगिर	शेटीकेरे	21	74	00-01	निजी	सूखी
22	यादगिर	शेटीकेरे	22	82/2	00-01	निजी	सूखी
23	यादगिर	शेटीकेरे	23	253/3	00-01	निजी	सूखी
24	यादगिर	शेटीकेरे	24	208	00-01	निजी	सूखी
25	यादगिर	शेटीकेरे	25	200	00-02	निजी	सूखी
26	यादगिर	शेटीकेरे	26	193	00-03	निजी	सूखी
27	यादगिर	शेटीकेरे	27	195	00-01	निजी	सूखी
28	यादगिर	शेटीकेरे	28	220/1	00-01	निजी	सूखी
29	यादगिर	शेटीकेरे	29	220/2	00-01	निजी	सूखी
TOTAL					05.02		

[फा. सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.227/GY-WD/GTL]

मनोज कुमार, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 26th February, 2026

S.O. 1083(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project namely, “Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing No. 227 at Km. 622/7-8 in between Lingiri and Yadgir stations to an extent 5.02 Acres in Shettikere village of Yadgir Taluka in Yadgir District” in the State of Karnataka, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely, Assistant Commissioner, Yadgir in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Assistant Commissioner, Yadgir shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested personat the aforesaid office of the Competent Authority(CALA).

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing No. 227 at Km. 622/7-8 in between Lingiri and Yadgir stations to an extent 5.02 Acres in Shettikere village of Yadgir Taluka in Yadgir District

Sl. No.	Name of Mandal	Name of Village	Sl. No.	Survey No.	Extent of area In A-G	Type of land (Govt/Pvt)	Nature of Land (Wet/Dry)
1	Yadgir	Shettikere	1	69/1	00-04	Private	Dry
2	Yadgir	Shettikere	2	69/2	00-04	Private	Dry
3	Yadgir	Shettikere	3	71/3	00-11	Private	Dry
4	Yadgir	Shettikere	4	71/2	00-02	Private	Dry
5	Yadgir	Shettikere	5	A	00-16	Private	Dry
6	Yadgir	Shettikere	6	75	00-13	Private	Dry
7	Yadgir	Shettikere	7	81	00-12	Private	Dry
8	Yadgir	Shettikere	8	78	00-04	Private	Dry
9	Yadgir	Shettikere	9	80	00-18	Private	Dry
10	Yadgir	Shettikere	10	83	00-09	Private	Dry
11	Yadgir	Shettikere	11	221	00-02	Private	Dry
12	Yadgir	Shettikere	12	219	00-15	Private	Dry
13	Yadgir	Shettikere	13	142	00-14	Private	Dry

14	Yadgir	Shettikere	14	198	00-05	Private	Dry
15	Yadgir	Shettikere	15	199	00-20	Private	Dry
16	Yadgir	Shettikere	16	197	00-12	Private	Dry
17	Yadgir	Shettikere	17	194	00-22	Private	Dry
18	Yadgir	Shettikere	18	186	00-01	Private	Dry
19	Yadgir	Shettikere	19	254	00-04	Private	Dry
20	Yadgir	Shettikere	20	72	00-01	Private	Dry
21	Yadgir	Shettikere	21	74	00-01	Private	Dry
22	Yadgir	Shettikere	22	82/2	00-01	Private	Dry
23	Yadgir	Shettikere	23	253/3	00-01	Private	Dry
24	Yadgir	Shettikere	24	208	00-01	Private	Dry
25	Yadgir	Shettikere	25	200	00-02	Private	Dry
26	Yadgir	Shettikere	26	193	00-03	Private	Dry
27	Yadgir	Shettikere	27	195	00-01	Private	Dry
28	Yadgir	Shettikere	28	220/1	00-01	Private	Dry
29	Yadgir	Shettikere	29	220/2	00-01	Private	Dry
TOTAL					5.02		

[F. No. RSP/Gazette/20A/LC.No.227/GY-WD/GTL]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP